"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2006—आश्विन 28, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक 856/813/2006/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेई, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-9-2006 से 29-9-2006 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 22, 30-9-2006, 1-10-2006 एवं 2-10-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री बाजपेई का कार्य भी संपादित करेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

3. अवकाश से लौटने पर श्री बाजपेई को पुनः अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में श्री बाजपेई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजपेई अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक 858/803/2006/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 6-10-2006 से 13-10-2006 तक 8 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चक्रवर्ती को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक 860/799/2006/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 28-9-2006 से 4-10-2006 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक 862/793/2006/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 16-10-2006 से 28-10-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2006

क्रमांक/4022/कृषि प्रकोष्ठ/2001/14-2.—दि फर्टिलाइजर (कंट्रोल) आर्डर 1985 के खण्ड 13 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त उपखण्ड के उद्देश्यों के लिए नीचे दी गई अनुसूची 1 में दर्शाये हुए उर्वरकों के मिश्रणों के लिए कालम (3) में दर्शाये हुए मानक तथा अनुसूची 2 में दर्शाये हुए माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण (पर्णिम छिड़काव हेतु) के लिए कालम (2) में दर्शाये हुए मानक अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निर्धारित करता है एवं उक्त संबंध में 21 अक्टूबर, 2000 के पश्चात् राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (उर्वरक) द्वारा अनुमोदित ऐसे उर्वरक मिश्रण ग्रेड जिनका समावेश इस अधिसूचना में नहीं है को निरस्त करते हुए उनके निवर्तन हेतु 1 माह की समय-सीमा निर्धारित करती है.

अनुसूची-1

क्र. (1)	उर्वरकों के मिश्रण (2)		मानक (3)	
1.	एन.पी.के. 15:15:7.5	1.	अधिकतम भार द्वारा आर्द्रता का प्रतिशत	1.00
		2.	न्यूनतम भार द्वारा कुल नाइट्रोजन प्रतिशत	15.00
		3.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय फास्फेट (यथा पी.$_2$ ओ.$_5$) का प्रतिशत	12.00
		4.	न्यूतनम भार द्वारा न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट विलेय फास्फेट (यथा पी$_2$ ओ$_5$) का प्रतिशत.	15.00
		5.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय पोटाश (यथा के$_2$ ओ) का प्रतिशत	7.50
2.	एन.पी.के. 20:20:10.	1.	अधिकतम भार द्वारा आर्द्रता का प्रतिशत	1.00
		2.	न्यूनतम भार द्वारा कुल नाइट्रोजन प्रतिशत	20.00
		3.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय फास्फेट (यथा पी.$_2$ ओ.$_5$) का प्रतिशत	16.00
		4.	न्यूतनम भार द्वारा न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट विलेय फास्फेट (यथा पी$_2$ ओ$_5$) का प्रतिशत.	20.00
		5.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय पोटाश (यथा के$_2$ ओ) का प्रतिशत	10.00
2.	एन.पी.के. 10:16:10.	1.	अधिकतम भार द्वारा आर्द्रता का प्रतिशत	1.00
		2.	न्यूनतम भार द्वारा कुल नाइट्रोजन प्रतिशत	10.00
		3.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय फास्फेट (यथा पी.$_2$ ओ.$_5$) का प्रतिशत	13.00
		4.	न्यूतनम भार द्वारा न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट विलेय फास्फेट (यथा पी$_2$ ओ$_5$) का प्रतिशत.	16.00
		5.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय पोटाश (यथा के$_2$ ओ) का प्रतिशत	10.00

(1)	(2)		(3)	
4.	एन.पी.के. 16:30:10	1.	अधिकतम भार द्वारा आर्द्रता का प्रतिशत	1.00
		2.	न्यूनतम भार द्वारा कुल नाइट्रोजन प्रतिशत	16.00
		3.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय फास्फेट (यथा पी.$_2$ ओ.$_5$) का प्रतिशत	25.50
		4.	न्यूतनम भार द्वारा न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट विलेय फास्फेट (यथा पी$_2$ ओ.$_5$) का प्रतिशत.	30.00
		5.	न्यूनतम भार द्वारा जल विलेय पोटाश (यथा के$_2$ ओ) का प्रतिशत	10.00

टीप : उर्वरक मिश्रण तैयार करने के लिए केन्द्र शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये.

अनुसूची-2

माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण क्रमांक (1)		मानक (अकार्बनिक पर्णिम छिड़काव हेतु) (2)	
1.	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
	(ii)	बोरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.10
	(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.02
	(iv)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
	(v)	पी. एच., इससे कम नहीं	3.5 ± 0.25
	(vi)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
	(vii)	सीसा (सीसा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003
2.	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
	(ii)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.50
	(iii)	बोरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.10
	(iv)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.02
	(iv)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
	(vi)	पी. एच., इससे कम नही.	3.5±0.25
	(vii)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
	(viii)	सीसा (सीसा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003
3.	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
	(ii)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.50
	(iii)	बोरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.10
	(iv)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
	(v)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
	(vi)	पी. एच., इससे कम नहीं	3.5 ± 0.25
	(vii)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
	(viii)	सीसा (सीसा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003

टीप :

1. किसी भी स्थिति में लौह (Fe) मानक अनुशंसित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक न हो.

2. किसी मिश्रण में किसी तत्व की मात्रा निर्धारित न्यूनतम मात्रा (लौह Fe को छोड़कर) से अधिक हो सकती है.

3. यदि अतिरिक्त पोषक तत्व [एन. पी. के., कैल्शियम (Ca), मेग्नेशियम (Mg) तथा सल्फर (s)] माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण की सक्षमता में वृद्धि लाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त पोषक तत्वों का मिश्रण किया जा सकता है. परंतु ऐसे अतिरिक्त योग पौधों के लिए हानिकारक या विषैला नहीं होना चाहिए.

4. विषैले पदार्थ जैसे कैडमियम (Cd), क्रोमियम (Cr), पारा (मरक्यूरी, Hg), मिश्रण में 0.001 प्रतिशत (भार द्वारा) से अधिक नहीं होना चाहिए. सीसा (Pb) प्रतिशत भार द्वारा 0.003 से अधिक नहीं होना चाहिए.

5. मिश्रण में प्रत्येक पोषक तत्व की वास्तविक मात्रा की घोषणा पंजीयन के समय किया जाना अनिवार्य होगा.

Raipur, the 26th September 2006

No./4022/Krishi Pra./2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 13 of the Fertilizer (Control) Order 1985, for purpose of the said sub-clause, State Government hereby, with effect from the date of notification; sets standards for Mixture of Fertilizer, as mentioned in column (3) of schedule-1; and standards for Micro nutrient Mixtures (for foliar spray), as mentioned in column (2) of schedule-2; and hereby cancels such fertilizer mixture grades which are not included in this notification and approved by State Registering Authority after 31st October 2000 and hereby; further fixes a time limit of 1 month for the disposal of such fertilizer mixture.

SCHEDULE-1

S. No. (1)	Mixture of Fertilizer (2)	Standard (3)	
1.	NPK 15:15:7.5	1. Moisture percent by weight maximum	1.00
		2. Total Nitrogen percent by weight minimum	15.00
		3. Water soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum	12.00
		4. Neutral Ammonium Citrate Soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum.	15.00
		5. Water Soluble Potash as (K_2O) percent by weight minimum	7.50
2.	NPK 20:20:10	1. Moisture percent by weight maximum	1.00
		2. Total Nitrogen percent by weight minimum	20.00
		3. Water soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum	16.00
		4. Neutral Ammonium Citrate Soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum.	20.00
		5. Water Soluble Potash as (K_2O) percent by weight minimum	10.00

(1)	(2)	(3)		
3.	NPK 10:16:10	1.	Moisture percent by weight maximum	1.00
		2.	Total Nitrogen percent by weight minimum	10.00
		3.	Water soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum	13.00
		4.	Neutral Ammonium Citrate Soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum.	16.00
		5.	Water Soluble Potash as (K_2O) percent by weight minimum	10.00
4.	NPK 16:30:10	1.	Moisture percent by weight maximum	1.00
		2.	Total Nitrogen percent by weight minimum	16.00
		3.	Water soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum	25.50
		4.	Neutral Ammonium Citrate Soluble Phosphate as (P_2O_5) percent by weight minimum.	30.00
		5.	Water Soluble Potash as (K_2O) percent by weight minimum	10.00

Note : Notifications/Guidelines for preparation of Mixture of Fertilizers, issued by Government of India, to be followed sternly.

SCHEDULE-2

Micro nutrient Mixture No. (1)	Specification (For inorganic foliar spray) (2)		
1.	(i)	Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	3.00
	(ii)	Boron (as B) per cent by weight, minimum	0.10
	(iii)	Molybdenum (as Mo) per cent by weight, minimum	0.02
	(iv)	Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	1.00
	(v)	pH not less than	3.5 + 0.25
	(vi)	Solubility in water per cent	100.00
	(vii)	Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003
2.	(i)	Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	3.00
	(ii)	Manganese (as Mn) per cent by weight, minimum	0.50
	(iii)	Boron (as B) per cent by weight, minimum	0.10
	(iv)	Molybdenum (as Mo) per cent by weight, minimum	0.02
	(v)	Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	1.00
	(vi)	pH not less than	3.5 + 0.25
	(vii)	Solubility in water per cent	100.00
	(viii)	Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003
3.	(i)	Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	3.00
	(ii)	Manganese (as Mn) per cent by weight, minimum	0.50
	(iii)	Boron (as B) per cent by weight, minimum	0.10
	(iv)	Iron (as Fe) per cent by weight, minimum	3.00
	(v)	Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	1.00
	(vi)	pH not less than	3.5 ± 0.25
	(vii)	Solubility in water per cent	100.00
	(viii)	Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003

Note :

1. In no case the percentage of 'Fe' should exceed 10% of the standard recommended to be in the Micro-nutrient mixtures.

2. A formulation can have higher concentration than the minimum prescribed, excepting 'Fe'.

3. Addition of other nutrient (Npk, Ca, Mg and S) and other additives which may promote the efficiency of compounds are also allowed. However such additions should not create Phytotoxicity.

4. The concentration of the toxic elements like Cadmium (Cd), Chromium (Cr) and Mercury (Hg) in the Mixture shall not be more than 0.001 per cent by weight. Concentration of lead shall not exceed 0.003 per cent by weight.

5. Actual concentration of each nutrient in the formulation shall be declared at the time of registration.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

क्रमांक/7748/1089/06/25-3/आजाकवि.— राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 के अध्याय 2-धारा 3 (1) के अध्याधीन तीन सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है.

इस आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-9-62/दो/गृह/06.— वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्नपत्र "सामान्य विधि प्रश्न-पत्र-2 (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को

उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	कु. प्रभाकर खलखो	सहायक वन संरक्षक
2.	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू	सहायक वन संरक्षक
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
3.	श्री रमेश कुमार जांगड़े	सहायक वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 8-9/2006/11/6.— इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल (कोरबा पूर्व), कोरबी के बायलर क्रमांक-एम. पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13-09-2006 से 12-11-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक 1115/792/2006/स्था/चार.—स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शासकीय जमा काउंटर खोला जाना है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखा को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक शाखा, नवापारा राजिम, जिला रायपुर.

Raipur, the 27th September 2006

No. 1115/792/2006/Estt./IV.—Government deposit counter has to be open in branch of State Bank of India with a view to facilitate the local residents. Hence the State Government do hereby authorize government transaction. With the following branch of State Bank of India :—

(1) State Bank of India branch, Nawapara Rajim, Distt.-Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10-30/2005/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2005/वाक/पांच (85), दिनांक 09-10-2006 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण में अध्यक्ष के पद पर वेतनमान रुपये 22,850-500-24,850 में श्री रामकृष्ण बेहार, (उच्च न्यायिक सेवा) सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की नियुक्ति उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है.

2. उक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2006 के नियम, 4 में विहित निर्बन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

क्रमांक 2536/जसंवि/24/पत्र. क. स./2006—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति का गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

1. श्री तुषार कांति बोस, प्रधान संपादक, दैनिक दण्डकारण्य समाचार जगदलपुर
2. श्री अनल प्रकाश शुक्ल, संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर
3. श्री परितोष चक्रवर्ती, संपादक, दैनिक जनसत्ता, रायपुर
4. श्री सुशील कोठारी, संपादक, दैनिक सवेरा संकेत, राजनांदगांव
5. श्री सुनील नामदेव, ब्यूरोचीफ, आज तक (टी. व्ही. न्यूज) रायपुर

पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 1-53/2003/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, वन सेवा भरती नियम, 1967 (अलिपिकीय) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में :—

नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसूची 3 के कालम 5 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये.

"परन्तु यह और कि दिनांक 31-12-1988 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में उनकी शैक्षणिक अर्हता वही मानी जाये जो उनकी भर्ती के समय 31 दिसम्बर 1988 के पूर्व थी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 1-53/2003/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-53/2003/10-2, दिनांक 10 अक्टूबर 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 10th October 2006

No. F 1-53/2003/10-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Forest Service Recruitment Rules 1967, (Non-Ministerial) namely :—

AMENDMENT

In the said schedule :—

In Column No. 5 Schedule 3 of sub-rule (1) of rule-8, the following proviso shall be inserted.

"Provided further, that in case of daily wage employees working prior to 31-12-1988, their educational qualification should be considered as it was at the time of their recruitment prior to 31st December, 1988."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. C. MAHAWAR, Additional Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

क्रमांक 12076/डी-2415/21-ब/छ. ग./2006.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 485/दो-2-90/2001 (पी. टी. दो)/गोपनीय/2006 दिनांक 19-09-06 के पालन में श्री आर. सी. एस. सामंत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य जिनकी सेवाएं इस विभाग के **आदेश** क्र. 8162 दिनांक 20-10-05 द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम रायपुर में अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु खाद्य विभाग को सौंपी गई थी, की सेवाएं उक्त विभाग से वापस लेकर मान. उच्च न्यायालय को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

फा. क्र. 12124/डी-2533/21-ब/छ. ग./06.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शुक्ला, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ छ. ग. जिनकी सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 777/डी-208/21-ब/छ. ग./06, दि. 28-1-06 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी गई थी, की सेवाएं छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 642/दो-2-1/2006/गोप./06, दिनांक 04-10-2006 के अनुपालन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

फा. क्र. 12126/डी-2533/21-ब/छ. ग./06.—राज्य शासन, श्री डी. के. तिवारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर छ. ग. जिनकी सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 8162/डी-2419/21-ब/छ. ग./05, दि. 20-10-05 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर को सौंपी गई थी, की सेवाएं छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 642/दो-2-1/2006/गोप./06, दिनांक 04-10-2006 के अनुपालन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

फा. क्र. 12251/डी-2311/21-ब/छ. ग./06.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 493/दो-2-101/2001/गोपनीय/06, दिनांक 09-09-06 के अनुपालन में श्री ए. के. गोयल, उप-सचिव, छ. ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर जिन्हें कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 7407/डी-1365/21-ब/छ. ग./04, दिनांक 23-12-04 द्वारा उप-सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था, को विधि और विधायी कार्य विभाग में उप-सचिव के पद पर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

फा. क्र. 12282/डी-2539/21-ब/छ. ग./06.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीशों को उसके कॉलम नं. (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उपरोक्त उपधारा के खण्ड 'क' और 'ख' में वर्णित अपराधों के विचारण के लिए दिनांक 08-10-2006 से विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुंठपुर)	कोरिया बैकुंठपुर
2.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा
3.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)
4.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी	धमतरी
5.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद	महासमुंद

यह अधिसूचना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 1-1-88-21-ब, दिनांक 10-03-92 को जहां तक कि सत्र खण्ड सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर में दिनांक 08-10-2006 को लंबित हैं, को विशेष न्यायालय कोरिया (बैंकुठपुर), जांजगीर-चांपा, उत्तर बस्तर (कांकेर), धमतरी एवं महासमुंद को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 9th October 2006

F. No. 12282/D-2539/XXI-B/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Prevention of Corruption Act, 1988, (49 of 1988), the State Government hereby appoints the Sessions Judge specified in column (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof for trial of cases relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section with effect from 8-10-2006 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Judge (2)	Local Area/Sessions Division (3)
1.	Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur)	Koriya (Baikunthpur)
2.	Addl.Sessions Judge, Janjgir-Champa	Janjgir-Champa
3.	Addl. Sessions Judge, North Bastar-Kanker	North Bastar-Kanker
4.	Addl. Sessions Judge, Dhamtari	Dhamtari
5.	1st. Addl. Sessions Judge, Mahasamund	Mahasamund

This notification modifies the Madhyapradesh Government Law Department's Notification No. 1-1-88-21-B. dated 10-3-1992, So for.as it relates to erstwhile sessions division Sarguja (Ambikapur), Bastar (Jagdalpur), Bilaspur and Raipur for specifying a Court of Sessions under section (3) of the said Act.

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court, Sarguja (Ambikapur), Bastar (Jagdalpur), Bilaspur and Raipur pending in the Special Court of Koriya (Baikunthpur) Janjgir-Champa, North Bastar (Kanker) Dhamtari and Mahasamund as on 8-10-06 shall stand transferred to Special Court constituted at Koriya (Baikunthpur), Janjgir-Champa, North Bastar (Kanker) Dhamtari and Mahasamund.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक/1464/प्र-1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	चिहरो	22.86	अनु. वि. अधि. जल सं., डौण्डी	आमडुला जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक/1464/प्र-1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	पचेडा	6.43	अनु. वि. अधि. जल सं., डौण्डी	पचेडा तालाब

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2006

क्रमांक/19/अ-82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डुमरतराई प. ह. नं. 115	6.006	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	थोक सब्जी बाजार निर्माण हेतु

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 25 अ/82 वर्ष 05/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अकोलीकला प. ह. नं. 147/45	0.06	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.-1, रायपुर.	नहर शाखा क्र.-19 के माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 11 अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	सिसेदेवरी प. ह. नं. 14	21.799	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 12 अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	सुंद्रावन प. ह. नं. 29	7.200	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

क्रमांक 7900/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुर्सीपार प.ह.नं. 58	3.320	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के बायींतट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

क्रमांक 7903/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पदगुड़ा प.ह.नं. 58	10.968	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के बायींतट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्रमांक 17/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरनी	11.89	अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र, केरिपु बल, बिलासपुर.	सी. आर. पी. एफ. का ग्रुप केन्द्र स्थापित करने के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/115/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	बीजापुर	नैमेड़	0.868	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन हीरक परि. केम्प कारली, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 429/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.004
15	0.040
21	0.004
116	0.004
99, 100, 101, 102	0.020
833/3	0.008
844/3, 846/3	0.081
848/1, 844/1, 845/1, 846/1	0.190
योग	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-आमाकोनी वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 436/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/1	0.036
78, 77	0.032
76	0.004
66	0.004
75/3	0.074
29	0.002
28/1	0.006
28/2	0.006
योग	0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बोईरडीह ब्रांच माइ. 2 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक 456/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1 क	0.040
2/1 ब	0.004
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-हरेठीकला ब्रांच माइ. 2 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 477/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-हरदीडीह, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287/2	0.003
287/3, 297/5	0.032
290	0.057
योग	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-ब्रांच माइ. 2 एल/आफ माइ. 2 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 478/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/2 ग	0.040
11/10	0.061
11/3	0.069
11/9	0.020
13/1 ख, 13/2	0.020
योग	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गलगलाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82, 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-आरंग, प. ह. नं. 60/42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1499/4, 1515	0.109
योग	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 22 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 26 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-कांपा, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.006 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/3	0.405
111/4	0.310
112/8	0.263
112/7	0.028
योग 4	1.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 29 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-घोंठा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.825 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/5, 13/2	0.575
5/6	0.539
5/9	0.389
19	0.085
18	0.328
85/2	0.142
84/1-2	0.243
97/1	0.340
84/4	0.008
92	0.016
93	0.142
95	0.085
94/1	0.142
98	0.235
97/4	0.040
85/1	0.263
86/1	0.170
86/2	0.061
86/4	0.113
88/4, 89/2	0.243
91	0.121
100, 101	0.164
99	0.081
96	0.300
योग 24	4.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक 9/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72	0.688
74	0.825
217/1	0.910
76	0.154
79	0.024
75	0.405
220	0.243
217/2	0.910
66	0.324
71	0.737
219	0.543
67	1.753
68	0.287
70	0.146
73	0.040
218	0.125
योग 16	8.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक 17/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गोरखपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.957 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	176	0.389
	178/1	0.057
	287/1 क/1	0.085
	362	0.462
	177/1	0.223
	84	0.101
	86	0.085
	287/1 क/2	0.057
	287/1 क 4	0.085
	287/1 ऋ	0.040
	358/1	0.097
	360/1	0.049
	157/1	0.045
	158/1	0.045
	287/1 क/8	0.178
	291/2	0.012
	292/2	0.113
	358/2	0.008
	360/2	0.008
	359/1	0.117
	179/2	0.336
	83/1 क	0.316
	359/2	0.049
योग	23	2.957

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक 18/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंजनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.764 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157/4	0.081
205/6	0.146
206	0.061
208/1	0.093
472/4	0.138
129, 130	0.194
313	0.024
215/1	0.105
217/3	0.121
290/2	0.040

(1)	(2)
394	0.138
439/1 झ	0.113
123/2	0.085
467/1	0.057
468/1	0.057
469/1	0.053
466/2	0.032
467/3	0.170
469/3	0.057
142/1	0.109
156/1	0.158
327/1	0.057
329/2	0.279
472/1	0.024
439/6 ग	0.113
439/6 ख	0.045
439/6 क	0.032
457/3	0.113
439/1 छ	0.028
387/1	0.069
459/1	0.024
460	0.065
214/1	0.069
315/1	0.032
289/1	0.057
291/1, 292/1	0.008
340/1	0.028
389, 390/2	0.194
197/1	0.150
138/1	0.227
307/1	0.308
439/4 ग, 439/4 च, 440/1 ख	0.085
141/1	0.239
217/1	0.146
219/2	0.073
207/2	0.057
207/1	0.040
305	0.166
328/1	0.020
290/1	0.040
137/1	0.045
218	0.049
312	0.085
219/1	0.040
131, 133	0.324
132/1	0.101
289/3	0.057
291/2, 292/2	0.150
314/3	0.093
योग 58	5.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय मड़ना एवं गोरखपुर लघु निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिलासपुर
 (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कबीरधाम जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/14/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बीजापुर, प. ह. नं. 25 (अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/46	0.006
179/1	0.004
179/9	0.004
178/2	0.006
177/2 (क)	0.043
177/2 (ख)	0.031
825/1	0.002
827/2	0.004
899	0.002
900	0.004
901	0.004
901	0.004
901	0.002
902	0.002
904/3	0.002
905	0.002
906	0.004
906, 1260	0.004
972/3	0.002
972/3	0.002
966	0.004
972/13	0.002
916/2	0.002
916/18	0.002
916/1	0.004
916/1 क	0.002
88/3	0.033
85/3	0.033
84	0.043
83	0.086
151	0.037
822/1	0.068
152	0.018
173	0.006
822/2	0.010
916/34	0.004
824	0.022
199/1	0.004
991/1265 ख 3	0.002
991/38	0.002
991/24	0.004
991/18	0.002
962/1	0.004
179/1	0.004
179/1	0.004
991/7	0.002
991/1	0.004
991/30	0.004
991/3 ख	0.004
991/3	0.004
990/2	0.002
990/1	0.004
988/1	0.004
989	0.006
156	0.072
884/2	0.004
823	0.022
884/2	0.004
983/2	0.002
983/4	0.002
178/9	0.002
983/1	0.002
982	0.002

(1)	(2)
837	0.012
980	0.002
981	0.002
972/1	0.004
970	0.004
972/1	0.002
972/4	0.002
968	0.002
967	0.002
179/6	0.004

(1)	(2)
179/1	0.002
योग	0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क चौड़ीकरण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़, छ. ग.

रायगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक 1786/ख. लि-3/2006.—खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 59 के अन्तर्गत खनिपट्टा में स्वीकृत क्षेत्र को खुला घोषित (थ्रो ओपन) करने संबंधी जानकारी.

क्र.	ग्राम व खदान का नाम	तहसील	प. ह. नं.	जिला	खसरा नम्बर	रकबा	खनिज का नाम	खुले क्षेत्र घोषित करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बसनाझर	---,,---	[illegible] 13	[illegible]	203, 204	1.161 हे.	चूनापत्थर	अवधि समाप्त होने पर
					223	0.554		
					225/1	0.975		
					225/2	0.611		
					226	0.894		
					227/1	0.664		
					267	0.073		
					268	0.178		
					269	0.045		
					270	0.421		
					271	0.409		
					272	0.162		
					273	0.292		
					274	0.267		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					275	0.348		
					276	0.279		
					277	0.267		
					278/1	0.478		
					278/2	0.040		
					278/4	0.162		
					279	0.405		
					280/1, 281/1, 285/2	0.125		
					280/2, 281/2	0.109		
					282	0.190		
					283	0.938		
					284	0.178		
					285/1	1.040		
					285/3	0.020		
					285/4	0.012		
					285/5	0.012		
					286	0.299		
					287	0.316		
					288	0.231		
					289	0.283		
					290	0.376		
					291/1	0.324		
					291/2	0.401		
					292	0.438		
					293	0.404		
					294	0.462		
					295	0.898		
					296/1	0.032		
					296/2	0.073		
					296/3	0.040		
					297	0.291		
					298	0.320		
					299/1	5.427		
					299/2	0.607		
					299/3	2.833		
					299/4	0.405		
					299/5	1.011		
					299/6	0.405		
					300	0.081		
					301	0.162		
					302	0.186		
					303, 304	0.182		
					305	0.194		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					306	0.336		
					307/1	0.154		
					307/2	0.150		
					308	0.279		
					309	0.437		
					310	0.482		
					310/757	0.469		
					311	0.372		
					312	0.166		
					313	0.129		
					314/1	0.182		
					314/2	0.113		
					314/3	0.089		
					315/1	0.235		
					315/2	0.105		
					316	0.121		
					317	0.138		
					318	0.304		
					319	0.129		
					320	0.101		
					321	0.809		
					321/764	0.219		
					322	0.231		
					323	0.324		
					324	0.049		
					325	0.081		
					326/1	0.332		
					326/2	0.105		
					327/1	0.255		
					327/2	0.138		
					329/330	1.112		
					331	0.315		
					332	0.287		
					333/340	0.555		
					334	0.275		
					335	0.202		
					336	0.125		
					337	0.534		
					338	0.028		
					339	0.364		
					341/1	0.150		
					341/2	0.158		
					342	0.295		
					343	0.676		
					344/1	0.235		
					344/2	0.032		
					345	0.429		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					346/1	0.061		
					346/2	0.166		
					346/3	0.061		
					347	0.555		
					348/1	0.745		
					348/2	0.049		
					365/1	7.062		
					365/2	0.332		
					365/3	0.332		
					366-367	0.304		
					368	0.146		
					369	0.235		
					370	0.401		
					371	0.312		
					372	0.165		
					373	0.105		
					374	0.259		
					375	0.178		
					376	0.255		
					377	0.154		
					379-383	0.150		
					380/1	0.040		
					380/2	0.061		
					381	0.304		
					382	0.146		
					384	0.098		
					385	0.146		
					386	0.660		
					387	0.190		
					388	0.061		
					389	0.194		
					390	0.231		
					391	0.987		
					392	0.198		
					393	0.445		
					394/1 क	0.178		
					394/1 ख	0.405		
					394/1 ग	0.194		
					394/2	0.324		
					394/3	0.223		
					394/4	0.283		
					395	0.154		
					395/2 क	0.073		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					395/2 ख, 396/2, 397/1	0.558		
					396/1	0.210		
					397/2	0.235		
					398/1	0.405		
					398/2	0.073		
					398/3	0.012		
					398/4	0.255		
					399	0.328		
					400	0.162		
					401	0.728		
					402	0.482		
					403	0.049		
					404	0.332		
					405	0.101		
					407	0.073		
					408	0.121		
					409	0.214		
					410, 420/2	0.587		
					420/3	0.393		
					421/1, 427/1, 427/2	0.368		
					427/3, 421/2	0.125		
					426	0.283		
					428	0.206		
					430	0.077		
					431	0.138		
					437	0.279		
					438	0.372		
					439	0.113		
					440	0.174		
					441	0.182		
					442	0.073		
					443/1	0.202		
					443/2	0.445		
					444-445	0.619		
					322/760	0.016		
						68.866 हे. में से 66.584 हे.		

एस. के. राजू,
कलेक्टर.

कार्यालय, मुख्य निरीक्षण वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल

जी. ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ. ग.) 492 001

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक मुनिवा/बा. अ. परीक्षा/4148/2006.—सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बायलर अटेन्डेन्ट्स नियम, 1958 के अंतर्गत द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स को प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 13, 14, 15 एवं 16 दिसम्बर-2006 को रायपुर में आयोजित की जावेंगी. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 (अक्षरी रुपये दस मात्र) के डाक टिकिट लगे हो भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") के भाग-III में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी विज्ञप्त/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. निर्धारित प्रारुप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी का धारा 2 (डी) के अंतर्गत मालिक होना अनिवार्य है.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र सचिव, बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानन्द आश्रम, रायपुर-492 001 में दिनांक 12-11-2006 तक या उसके पूर्व पहुंचने अनिवार्य है. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

टीप :—

1. माह मई एवं जून 2006 में ली गई परीक्षा हेतु जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त हो गये थे ऐसे आवेदकों को पुनः शुल्क भरने (चालान पटाने) की आवश्यकता नहीं है बशर्ते पूर्व चालान पूर्ण एवं सही हो.

2. **योग्यता**

   (अ) द्वितीय श्रेणी हेतु फायरमेन के पद पर तीन वर्ष का अनुभव ; शैक्षणिक योग्यता-निरंक

   (ब) प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट हेतु द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट के रूप में दो वर्ष का कार्य अनुभव ; शैक्षणिक योग्यता : 8वीं कक्षा उत्तीर्ण.

अविनाश भटनागर,
सचिव,
बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षक मंडल
एवं मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th October 2006

No. 642/Confdl./2006/II-2-1/2006.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office : and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No.	Name & present designation	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Radheshyam Sharma District & Sessions Judge.	Raipur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.
2.	Shri C. B. Bajpai, District and Sessions Judge.	Bastar	Dhamtari	Dhamtari	District & Sessions Judge.
3.	Shri Anil Kumar Shukla President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Raigarh	Mahasamund	Mahasamund	District & Sessions Judge.
4.	Shri D. K. Tiwari President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Bilaspur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	District & Sessions Judge.
5.	Shri A. K. Panda, Additional Registrar (Judl.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	District & Sessions Judge.
6.	Shri C. L. S. Tekam, Judge, Family Court.	Raigarh	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	District & Sessions Judge.
7.	Shri Sanman Singh, District & Sessions Judge.	Durg	Raipur	Raipur	District & Sessions Judge.
8.	Shri Rangnath Chandrakar, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Durg	Durg	District & Sessions Judge.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

Bilaspur, the 4th October 2006

No. 640/Confdl./2006/II-2-90/2001 (Pt. II).—Shri Heera Singh Markam, Member of Higher Judicial Service presently posted as Officer-on-Special Duty on the establishment of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur is appointed as Registrar General of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur with immediate effect.

By order of Hon'ble the Chief Justice.
RANGNATH CHANDRAKAR, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 4th October 2006

No. 121/II-14-1/2005 (Part.-III).—Consequent upon expunging the adverse remarks in their A. C. Rs. and accepting their representations, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to promote following officials to the posts mentioned against their names with retrospective effect, i. e. w. e. f. 29-09-2005, the date on which their immediate juniors in the concerned cadre were promoted, in the pay-scale of the promoted posts as mentioned below on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years :—

Sl. No.	Name of officials	Designation & pay scale	Promoted to the post (in the pay scale of Rs.)
1.	Smt. Pooja Naidu	Assistant Grade-I (5500-175-9000/-)	Section Officer (6500-200-10500/-)
2.	Shri Vikas Mandal	Assistant Grade-II (4000-100-6000/-)	Assistant Grade-I (5500-175-9000/-)
3.	Smt. T. Shashikala	Assistant Grade-II (4000-100-6000/-)	Assistant Grade-I (5500-175-9000/-)
4	Shri Jaiprakash Shukla	Assistant Grade-III (3050-75-3950-80-4590/-)	Assistant Grade-II (4000-100-6000/-)
5.	Shri Mahendra Kashyap	Assistant Grade-III (3050-75-3950-80-4590/-)	Assistant Grade-II (4000-100-6000/-)
6.	Smt. Geeta Sharma	Assistant Grade-III (3050-75-3950-80-4590/-)	Assistant Grade-II (4000-100-6000/-)

Their seniority shall be just above the names of their immediate juniors as it was on 29-09-2005 in the seniority/gradation list.

By order of Hon'ble the Chief Justice.
RAVI SHANKAR SHARMA, Additional Registrar (Est.).

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक 158/दो-2-28/2001.—श्री आर. एन. चन्द्राकर, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18-8-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-7-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडीशनल रजिस्ट्रार (लेखा).